डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 33 / फा0सं0–1454 / कोविड–19 / स्था0 / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2021–22 दिनांक 08 अप्रैल, 2021

// कार्यालय–आदेश //

उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के आदेश संख्या–955 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020 दिनांक 01 अप्रैल, 2021 एवं मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के आदेश संख्या–646 / पांच–5–2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2021 द्वारा कोविड–19 के रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांकः 212 / ओ0एस0डी0 / 2021, दिनांक– 07 अप्रैल, 2021 द्वारा कोविड–19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक शैक्षणिक संस्थानों को बन्द रखे जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उक्त के अनुक्रम में कोविड–19 के तीव्र गति से सक्रमण फैलने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय दिनांक–15 अप्रैल, 2021 तक पूर्णतया बन्द रहेगा। उक्त अवधि में समस्त भवनों का वृहद स्तर पर सेनेटाइजेशन किया जायेगा। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, विधि संकाय व एमिनिटीज ब्लाक–1 एवं 2 में सेनेटाइजेशन आदि कार्य के लिए सहायक कुलसचिव (नजारत) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। आवासीय परिसर एवं छात्रावास में सेनेटाइजेशन हेतु सहायक कुलसचिव (अधिष्ठान) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ कहीं भी खुला पानी अर्थात् जलभराव की स्थिति हो, उक्त स्थल पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा फॉगिंग इत्यादि का कार्य साफ–सफाई के लिए नामित एजेन्सी के माध्यम से सहायक कुलसचिव (अधिष्ठान) के पर्यवेक्षण में नियमित रूप से किया जायेगा।

3. विश्वविद्यालय में परिक्षाएं जो पूर्व से निर्धारित व संचालित हैं, उन्हें उक्तानुसार ही कोविड–19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कार्मिक यथा–विद्युत, एस0टी0पी0 संचालन, ट्यूबवेल / जल आपूर्ति, सुरक्षा एवं साफ–सफाई कार्य हेतु अपनी सेवाएं यथावत् जारी रखेंगे, इन सेवाओं का पर्यवेक्षण सहायक कुलसचिव (अधिष्ठान) एवं परीक्षा नियत्रंक के स्तर से किया जायेगा।

5. दिनांक–15 अप्रैल, 2021 तक की अवकाश अवधि (09 से 15 अप्रैल, 2021) में कोई भी शिक्षकवृन्द, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण बिना सक्षम स्तर की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, जिससे आकस्मिकता की स्थिति में सभी की सेवाएं प्राप्त की जा सकें।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1– मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3– समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष।
4– परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4 चीफ प्रोवोस्ट / अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, महिला एवं पुरुष छात्रावास।
5– समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6– समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
7– विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8– सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी, विश्वविद्यालय।
9– गार्ड फाइल।

8/4/21
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव